# **आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर**

श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा
श्री बी.एम. बियाणी, लेखा सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 49/इंदौर/2020
निर्धारण वर्ष : 2011-12

| | | |
|---|---|---|
| श्रीमती सीमा सचदेव, इंदौर | बनाम | आयकर अधिकारी वार्ड 2(4), इंदौर |
| अपीलार्थी | | प्रत्यर्थी |
| स्था.ले.सं.- बीपीडीपीएस 8632 एच | | |

| | |
|---|---|
| अपीलार्थी की ओर से | कोई नहीं |
| राजस्व की ओर से | श्री आशीष पोरवाल, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि |
| सुनवाई तिथि | 09.11.2022 |
| उद्घोषणा तिथि | 09.11.2022 |

## **आदेश**

श्री सी.एम.गर्ग, न्यायिक सदस्य द्वारा

निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आदेश दिनांक 03.12.2019 के विरूद्ध निदेशित है, जो कि आयकर अधिकारी-2(4), इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अधीन विरचित आदेश दिनांक 21.12.2018 से उद्भूत है ।

2. इस अपील के संबंध में, निर्धारिती के द्वारा आवेदन दिनांक 26.09.2022 दाखिल किया गया हैं जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "विवाद से विश्वास योजना" में आवेदन किया है तथा कर की देय जमा की है । आवेदन के साथ फार्म सं. 4 तथा फार्म सं. 5 प्रतियां भी दाखिल की गई हैं । निर्धारिती द्वारा निवेदन किया किया गया है कि "विवाद से

विश्वास योजना,2020" हेतु विरचित नियमों के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने का इच्छुक नही हैं । तद्नुसार निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपीलों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। । अतः हम इन अपीलों को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इन्हें वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि राजस्व द्वारा संबंधित निर्धारिती को इस योजना का लाभ किसी भी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 09.11.2022 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

| | |
|---|---|
| हस्ता/- | हस्ता/- |
| (बी.एम. बियाणी) | (सी.एम.गर्ग) |
| लेखा सदस्य | न्यायिक सदस्य |

दिनांक : 09.11.2022

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल